श्रीमती अम्बे देवी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

12 मार्च, 1996

[के. रामास्वामी और के. वेंकटस्वामी, न्यायमूर्तिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894: धारा 4(1), 12, 18, 20, 23, 26, 30, और 53

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश1 नियम 10

भूमि अधिग्रहण—मुआवजा—सह-हिस्सेदार द्वारा बिना संदर्भ मांगे वृद्धि का दावा—स्वीकार्यता—दावेदार, जो एक सह-हिस्सेदार है और मुआवजे के 1/4 हिस्से का दावा करता है—पंचाट —प्रत्येक सह-स्वामी द्वारा मुआवजे का 1/4 हिस्सा बंटवारा—पक्षकारों द्वारा प्राप्त मुआवजा —पक्षकारों में से एक द्वारा संदर्भ —संदर्भ न्यायालय द्वारा मुआवजे में वृद्धि—सह-हिस्सेदार द्वारा, बिना कोई संदर्भ आवेदन किए, अन्य दावेदारों के समान बढ़े हुए मुआवजे का दावा—इसे अस्वीकार्य माना गया—एक सह-हिस्सेदार द्वारा दिए गए संदर्भ आवेदन को सभी सह-हिस्सेदारों का आवेदन नहीं माना जा सकता—मुआवजा बढ़ाने की सिविल न्यायालय की शक्ति—शक्ति के प्रयोग के लिए एक वैध संदर्भ एक पूर्व-शर्त है—अधिनियम की धारा 18 और 30 के तहत निर्धारित प्रक्रिया आदेश 1 नियम 10 के साथ असंगत होने के कारण—संदर्भ के अभाव में एक सह-स्वामी को आवश्यक पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता—अधिनियम की धारा 53 को मामले के तथ्यों पर लागू नहीं माना गया।

दीवानी अपील क्षेत्राधिकार : 1980 दीवानी अपील संख्या 2166

पटना उच्च न्यायालय के 21.9.1976 के निर्णय आदेश से, मूल डिक्री संख्या 281/1967 से अपील में।

एस.एन. मिश्रा, देबा प्रसाद मुखर्जी, मनीष वर्मा और अभिलेख वर्मा, अपीलकर्ता की ओर से

निम्नलिखित न्यायालय का आदेश दिया गया:

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, 21 सितंबर 1976 के मूल डिक्री संख्या 220 और 1957 के 221 से उत्पन्न अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। इस अपील में उत्पन्न होने वाला एकमात्र प्रश्न यह है: क्या सह-हिस्सेदारों में से एक, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगे बिना, किसी अन्य सह-हिस्सेदार के अनुरोध पर किए गए संदर्भ में मुआवजे में वृद्धि का दावा कर सकता है।

स्वीकार्य तथ्य यह हैं कि शाहाबाद जिले (अब भोजपुर) के बेहचा गाँव में खाता संख्या 92 के प्लॉट संख्या 400 का एक हिस्सा, जो 25 एकड़ भूमि है, अधिनियम की धारा 4(1) के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी। धारा 4(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन 14 सितंबर, 1957 को किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा धारा 11 के तहत की गई जांच में, अपीलकर्ता ने अन्य सह-स्वामियों के साथ मुआवजे के 1/4 हिस्से का अपना दावा पेश किया था। यह भी तथ्य के रूप में पाया गया है कि कलेक्टर द्वारा दिए गए पंचाट में, उन्होंने प्रत्येक सह-स्वामी को मुआवजे का 1/4 हिस्सा आवंटित किया था। संबंधित पक्षों द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया था। सह-स्वामियों में से एक ने धारा 18 के तहत दीवानी न्यायालय में संदर्भ की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय ने मुआवजा बढ़ा दिया था। इसके पश्चात, अपीलकर्ता ने अन्य सह-स्वामी के समान अपनी भूमि के संबंध में मुआवजे में वृद्धि का दावा करते हुए अपील दायर की। उस दावे को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने 6 जनवरी, 1958 को कलेक्टर द्वारा पंचाट दिए जाने के बाद धारा 18 के तहत कोई आवेदन नहीं किया था, और इसलिए, वह बढ़े हुए मुआवजे की हकदार नहीं है। इस प्रकार, यह विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 53 के तहत, दीवानी प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया दीवानी न्यायालय की कार्यवाहियों पर तब तक लागू होती है जब तक कि वे अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत न हों। चूंकि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत सभी आवश्यक और उचित पक्षकारों को शामिल करना आवश्यक है, और अपीलकर्ता कार्यवाही में एक आवश्यक पक्षकार है, इसलिए वह उसी मुआवजे की हकदार है जो अन्य दावेदारों को दिया गया था। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं लगता। अधिनियम की योजना , अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने की पात्रता के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता के साथ असंगत है। दीवानी प्रक्रिया संहिता केवल

विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप प्रदान करती है। धारा 11 के तहत पंचाट दिए जाने के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के लिए धारा 12 के तहत पक्षकारों को नोटिस जारी करना आवश्यक था। जैसा कि अधिनियम की धारा 30 के तहत परिकल्पना की गई है, अपीलकर्ता विरोध के साथ या बिना विरोध के मुआवजा प्राप्त करने की हकदार है। जब धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत विरोध के साथ मुआवजा प्राप्त किया जाता है, तो भूमि की सीमा, वर्गीकरण, भूमि के मूल्य या मुआवजे के बंटवारे पर आपत्ति जताते हुए धारा 18(2) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण अधिकारी को लिखित आवेदन करना होता है, और उसे प्राप्त होने पर न्यायालय को संदर्भ भेजा जाता है। इसके तहत आवेदक को उन आधारों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जिन पर वह मुआवजे आदि पर आपत्ति करता है। संदर्भ आवेदन में उठाई गई आपत्तियों का न्यायनिर्णयन करने के लिए दीवानी न्यायालय के लिए वैध संदर्भ एक पूर्व-शर्त है। इस मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अपीलकर्ता ने धारा 18(1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया था। जैसा कि अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित किया गया है, उच्चतर मुआवजा निर्धारित करने का दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल तभी उत्पन्न होगा जब निर्धारित समय सीमा के भीतर धारा 18 के तहत एक वैध संदर्भ दिया गया हो। न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक वैध संदर्भ पर आधारित होता है और तभी दीवानी न्यायालय को दावेदार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर मुआवजा निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है।

हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ता ने धारा 18 के तहत कोई आवेदन नहीं किया था, हालांकि अपीलकर्ता ने यह दावा किया है कि उसने आवेदन किया था, लेकिन उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, यह स्वीकार करना कठिन है कि वास्तव में अधिनियम की धारा 18(2) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई आवेदन किया गया था। तदनुसार, हम यह धारित करते हैं कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 18(2) के साथ पठित धारा 18(1) की आवश्यकतानुसार कोई आवेदन दायर नहीं किया था। धारा 53 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। धारा 18 और 30 के तहत निर्धारित प्रक्रिया, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ असंगत है। दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 1, नियम 10 उन सभी आवश्यक या उचित पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुए सभी विवादों के पूर्ण न्यायनिर्णयन को प्रभावी बनाने के लिए किसी आवश्यक या उचित

पक्षकार को शामिल करने के लिए लागू होता है जो निर्णय से बाध्य हो सकते हैं। वह प्रश्न यहाँ उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अधिनियम के तहत असंगत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जैसा कि पहले धारित किया गया है, उप-धारा (1) के तहत लिखित में आवेदन करना और धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के लिए धारा 18 के तहत संदर्भ भेजने के लिए पूर्व-शर्तें हैं; इसकी प्राप्ति पर ही, धारा 20 के तहत दीवानी न्यायालय को सूचना जारी करने और उसके पश्चात जांच करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है, जैसा कि अधिनियम के तहत परिकल्पना की गई है। उस स्तर पर, विचारण आदि की प्रक्रिया, जैसा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत परिकल्पना की गई है, लागू होगी और अधिनियम की धारा 53 प्रभावी होगी। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि सह-स्वामी ने केवल अपने हिस्से के संबंध में धारा 18 के तहत आवेदन दायर किया था और संदर्भ मांगा था। इसलिए, तथ्य के रूप में, यह मुआवजे का विशिष्ट दावा है और दावेदारों को उनके 1/4 हिस्से का भुगतान किया गया था। किसी भी तरह से, सह-हिस्सेदारों में से किसी एक द्वारा धारा 18(1) के तहत किए गए आवेदन को सभी सह-हिस्सेदारों की ओर से किया गया आवेदन नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, हम यह धारित करते हैं कि अपीलकर्ता, सह-स्वामियों में से एक के अनुरोध पर संदर्भ न्यायालय द्वारा धारा 26 के तहत दिए गए पंचाट के अनुसरण में किसी भी उच्चतर मुआवजे का दावा करने की हकदार नहीं है।

तदनुसार, अपील खारिज की जाती है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए बिना किसी वाद व्यय के।

टी.एन.ए. अपील खारिज की जाती है

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।